पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उल्लंघन पर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा नगर पालिका परिषद, हाथरस के चार जनसूचना अधिकारियों पर ₹25,000 का अर्थदण्ड अधिरोपित

लखनऊ : 03 जुलाई, 2026

उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्त द्वारा अपील में पारित आदेश के अंतर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर नगर पालिका परिषद, हाथरस के तत्कालीन एवं वर्तमान जनसूचना अधिकारियों पर संयुक्त रूप से ₹25,000 (पच्चीस हजार रुपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

प्रकरण में अपीलकर्ता श्री राम प्रकाश वार्ष्णेय, निवासी मालिन गली, लक्ष्मीपति मोहल्ला, हाथरस द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत दिनांक 08 जनवरी, 2024 को आवेदन प्रस्तुत कर अपनी विभिन्न शिकायतों एवं पत्रों पर की गई कार्यवाही, संबंधित अभिलेखों तथा आदेशों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था।

सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचनाएं समयबद्ध एवं बिंदुवार उपलब्ध नहीं कराई गईं। साथ ही, अभिलेखों के परीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ कि अपीलकर्ता द्वारा विभिन्न तिथियों में प्रेषित शिकायतों एवं अनुस्मारक पत्रों पर की गई वास्तविक कार्यवाही के संबंध में समुचित एवं तथ्यपरक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई तथा आयोग के समक्ष भी भ्रामक, अपूर्ण एवं विलंबित सूचना प्रस्तुत की गई।

आयोग ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि जनसूचना अधिकारी का यह कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अंतर्गत दण्डनीय है। प्रकरण में पूर्व में कई अवसर प्रदान किए जाने एवं कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त तथ्यों के आधार पर आयोग ने दिनांक 24 जून, 2026 को पारित आदेश द्वारा निम्न अधिकारियों पर संयुक्त रूप से ₹25,000 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है–

- श्री आशुतोष कुमार सिंह, तत्कालीन उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हाथरस।
- श्री सुजय कुमार सिंह, तत्कालीन उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हाथरस।
- श्री अनुज कौशिक, तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा–वृंदावन/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हाथरस।
- श्री रोहित सिंह, वर्तमान अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हाथरस।

आयोग ने निर्देशित किया है कि अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि संबंधित अधिकारियों के वेतन से नियमानुसार वसूल की जाए। आदेश की प्रति जिलाधिकारी, हाथरस एवं रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रत्येक जनसूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह आवेदक को समयबद्ध, सत्य, पूर्ण एवं तथ्यपरक सूचना उपलब्ध कराए। अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना, सूचना देने में अनावश्यक विलंब अथवा भ्रामक एवं अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराना दण्डात्मक कार्रवाई का आधार बन सकता है।

सम्पर्क सूत्र– संजय कुमार

राम यतन/06:20 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in